UPSI010022322013

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या– 2,सीतापुर।

उपस्थितः विजय कुमार आजाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–500633/2013

सी०आई०एस० नं०–500633/2013

सरकार ....अभियोजक।

बनाम

1– **अवधराम** पुत्र बैजनाथ, उम्र 38 वर्ष,

2– **सुखरानी** पत्नी बैजनाथ, उम्र 55 वर्ष, समस्त निवासीगण–ग्राम कोड़रिया, थाना सदरपुर, सीतापुर। ....अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–121/2013
धारा–498 ए, 304 बी, 201 भा०दं०सं०/
धारा 302/34 भा०दं० सं० व धारा– 3/4 डी०पी० एक्ट
थाना सदरपुर जिला सीतापुर।

निर्णय

1– अभियुक्तगण अवधराम व सुखरानी के विरुद्ध मु०अ०सं०–121/2013, अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी, 201 भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी० एक्ट, थाना सदरपुर, सीतापुर के दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा द्वारा इस आशय की तहरीर थाना सदरपुर पर दी गयी कि वादिनी ने अपनी लड़की रामबेटी (23 वर्ष) की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के तहत अवधराम के साथ करीब 03 वर्ष पूर्व किया था। दहेज में अपनी सामर्थ्य के अनुसार, दान–दहेज अपनी लड़की को दिया था। जब वादिनी की लड़की अपनी ससुराल से घर विदा होकर आयी तो बताया कि सब ठीक–ठाक है, परन्तु जब वादिनी की लड़की दोबारा आयी तो बताया कि मेरे पति, सास व ननद मुझे पचास हजार रुपये व मोटरसाइकिल की माँग को लेकर प्रताड़ित करते हैं। वादिनी ने अपनी बेबसी जाकर उन लोगों से बताया तो मुझे डांट फटकार कर भगा दिया। वादिनी ने अपनी बेटी को आश्वासन देकर भेज दिया। दिनाँक 29.06.2013 को सायंकाल सूचना मिली कि वादिनी की लड़की रामबेटी को उसके पति व घर वालों ने दहेज की माँग को लेकर मारकर, हत्या कर, लाश कहीं जला दिया है। वादिनी अपनी लड़की की ससुराल गयी तो घर पर ताला लगा मिला। वादिनी को उनके घर का कोई व्यक्ति नहीं मिला।

3– वादिनी तहरीर के आधार पर थाना सदरपुर में मु०अ०सं121/2013 अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 201 भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी० एक्ट अभियुक्तगण अवधराम, सुखरानी व सीतादेवी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचक ने बाद विवेचना, सीतादेवी की नामजदगी गलत पाते हुए, सीतादेवी के विरुद्ध विवेचना समाप्त की तथा अभियुक्तगण अवधराम एवं सुखरानी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र अन्तर्गत

धारा–498 ए, 304 बी, 201 भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी० एक्ट न्यायालय प्रेषित किया।

4– अभियुक्तगण अवधराम एवं सुखरानी के विरुद्ध आरोप दिनांक 27.03.2014 को धारा–498 ए, 304 बी, 201 व धारा–3/4 डी०पी०एक्ट एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302/34 भा०दं०सं० में विरचित किया। सभी अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5– अभियोजन ने अपने कथानक को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित मौखिक साक्षियों को परीक्षित कराया है :–

क्र०सं०	साक्षी क्रमांक	नाम साक्षीगण	साक्षी/विशेषज्ञ
1	पी०डब्लू०–1	रामरानी (वादिनी मुकदमा)	
2	पी०डब्लू०–2	मस्तराम	
3	पी०डब्लू०–3	विष्णु कुमार उर्फ त्रिभुवन	
4	पी०डब्लू०–4	शर्मानन्द कुशवाहा, सब इंस्पेक्टर	चिंक एफ०आई०आर० प्रदश क–1, कायमी जी०डी० प्रदर्श क–2, प्रमाणपत्र प्रदर्श क–3 व तहरीर प्रदर्श क–4
5	पी०डब्लू०–5	सतीश कुमार सिंह	नक्शा नजरी प्रदर्श क–5, नक्शा नजरी चिता स्थल प्रदर्श क–6, फर्द प्रदर्श क–7, आरोपपत्र प्रदर्श क–8

6– अभियुक्तगण अवधराम एवं सुखरानी ने सफाई साक्ष्य अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में, अभियोजन कथानक को गलत होना कहा है। अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा ने शादी स्वीकार किया है, शादी दहेज रहित थी, कभी दहेज की माँग नहीं की तथा अन्य साक्षीगण ने भी शादी दहेज रहित होना स्वीकार किया है तथा दहेज माँग प्रमाणित नहीं कर सके। अभियुक्तगण का कहना है कि रामबेटी बीमार रहती थी, कमजोर थी, उसे कालरा हो गया था, जब तक डाक्टर के पास ले जाते उसने दम तोड़ दिया। मृत्यु की सूचना मैंने ही उसके मायके भेजी थी। मायके वाले आये और दाह संस्कार में शामिल हुए थे। रात होने के कारण दाह संस्कार दूसरे दिन हुआ था। चार–पाँच दिन बाद महावीर ने पुलिस से मिलकर वादिनी से झूठा मुकदमा लिखवा दिया। साक्षी संख्या 1 ता 3 ने अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिया है, शेष औपचारिक साक्षी हैं। सफाई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करना है।

7– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्तगण को झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विवेचक ने त्रुटिपूर्ण विवेचना की है। अतः अभियुक्तगण रिहा करने की कृपा करें।

8– अभियोजन ने कहा कि अभियुक्तगण ने मिलकर वादिनी मुकदमा की पुत्री रामबेटी को दहेज के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा दहेज की माँग पूरी न होने पर अभियुक्तगण ने वादिनी की पुत्री की हत्या कर दी। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

9– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

10– पी०डब्लू० 1 वादिनी रामरानी ने कहा कि मेरी लड़की का नाम रामबेटी था। आज से लगभग पांच–छः साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी अवधराम निवासी पड़रिया थाना सदरपुर के साथ किया था। शादी में मुझसे जो हो सका था, मैंने दिया था। दिये गये दान दहेज से अवधराम व सुखरानी खुश थे। पचास हजार रुपये व मोटर साइकिल की माँग अवधराम व सुखरानी नहीं करते थे। मेरी लड़की को दहेज की मांग में पचास हजार रुपया व मोटरसाइकिल के लिये मारते–पीटते व प्रताड़ित नहीं करते थे। मेरी बेटी दहेज मांगने वाली बात नहीं बताती थी। तहरीर पर अंगूठा मेरा लगा है। तहरीर किससे टाईप करवाया है, मुझे नहीं मालूम। टाईप करने वाले ने मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था। इस स्तर पर गवाह को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11– वादिनी रामरानी ने जिरह में कहा कि अवधराम के फोन पर मुझे सूचना मिली थी कि मेरी लड़की मर गयी है, इस सूचना पर मैं लड़की की ससुराल गयी, मुझे लड़की की लाश नहीं मिली। मैंने थाने पर इसकी कोई सूचना नहीं दी थी। मुझे नहीं मालूम की किसकी सूचना पर मुल्जिम जेल गये हैं। पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की।

12– अवधराम ने टेलीफोन किया था कि रामबेटी को कालरा बीमारी हो गयी है। मेरी बेटी काफी कमजोर थी, जब मैं पहुँची तो मेरी लड़की मर चुकी थी, लाश के पास अवधराम आदि रो–पीट रहे थे, फिर मैं रात में रुकी। दूसरे दिन दाह संस्कार कराकर वापस आ गयी थी। पड़रिया के महावीर मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी अवधराम से दुश्मनी चल रही है। दाह संस्कार कराने के बाद मैं घर वापस आ गयी थी। मेरी लड़की के मरने के पाँच दिन बाद महावीर ने आकर मेरा अंगूठा तहरीर पर लगवा लिया, जो सादा था, मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ, विश्वास करके अंगूठा लगा दिया। मैंने थाने पर लड़की के बारे में कोई सूचना नहीं दिया क्योंकि मुझे कोई शिकायत नहीं थी। शादी के बाद अवधराम मेरी बेटी को विदा कराने आते थे और हसी–खुशी से विदा कराकर ले जाते थे। यह बयान मैंने अपनी मर्जी से दिया है, किसी के दबाव में नहीं दिया। मुल्जिम बेगुनाह हैं, इसलिये सही बात बता रही हूँ।

13– पी०डब्लू0 2 साक्षी मस्तराम ने कहा कि घटना आज से ग्यारह वर्ष पूर्व की है। मेरी बहन का नाम रामबेटी था, जिसकी शादी अवधराम से हुई थी। मेरी बहन के ससुराल वाले व बहनोई अवधराम पचास हजार रुपये व मोटरसाइकिल की माँग नहीं करते थे और न ही अवधराम व उनके घर वाले मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे, न ही सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14– पी०डब्लू० 2 मस्तराम ने जिरह में कहा कि जैसा सी०ओ० साहब ने मेरा धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान लिखा है, ऐसा कोई बयान मैंने सी०ओ० साहब को नहीं दिया है, उन्होंने कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूँ। साक्षी ने इस कथन से इंकार किया कि मेरी बहन के पति अवधराम व उसकी सास सुखरानी पचास हजार रुपये व अतिरिक्त दहेज की माँ कर रहे है और अतिरिक्त दहेज की माँ पूरी न होने के कारण मेरी बहन के पति अवधराम व सास सुखरानी ने उसे मार दिया हो।

15– दिनाँक 29.06.2013 को शाम के समय अवधराम ने मुझे सूचना दी थी कि रामबेटी को कालरा हो गया था, वह खत्म हो गयी थी। इस सूचना पर मैं व मेरी माँ शाम को अवधराम के वहां पहुँचे थे, वहां पर मेरी बहन की लाश के पास सभी घरवाले रो रहे थे। अंधेरा होने के कारण अंतिम संस्कार अगले दिन किया गया था। रात में मैं व मेरी माँ वहीं रुके रहे। दिनांक 30.06.2013 को अपनी बहन का दाह संस्कार कराकर मैं व मेरी माँ वापस घर आ गये थे। अवधराम व पड़ोस के लोगों ने बताया था कि रामबेटी को कालरा हो गया था।

16— जब तक सवारी का इंतजाम करते तब तक रामबेटी ने दम तोड़ दिया। मेरी बहन बीमार रहती थी। वह काफी कमजोर थी। पड़रिया के महावीर उर्फ महादीन मेरे रिश्तेदार हैं और उनकी अवधराम से दुश्मनी चल रही है। मेरी बहन के मरने के 4—5 दिन बाद मेरी माता से एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराकर ले गये थे। उस समय मैं घर पर मौजूद नहीं था। महावीर ने अवधराम को परेशान करने के लिये झूठा मुकदमा कायम करा दिया था।

17— पी०डब्लू०—03 विष्णु कुमार उर्फ त्रिभुवन ने कहा कि घटना आज से लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व की है। मेरी बहन का नाम रामबेटी था, जिसकी शादी अवधराम से हुई थी। मेरी बहन अवधराम के साथ हंसी खुशी रहती थी। मेरे बहनोई अवधराम मोटरसाइकिल व पचास हजार रुपये की मांग नहीं करते थे। अवधराम और उसके घरवाले मेरी बहन को परेशान अथवा प्रताड़ित नहीं करते थे। सी०ओ० साहब ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

18— पी०डब्लू० 3 विष्णु कुमार उर्फ त्रिभुवन ने जिरह में कहा कि सी०ओ० साहब ने धारा 161 सी०आर०पी०सी० का बयान जैसा केस डायरी में लिख लिया है, वैसा कोई बयान मैंने नहीं दिया। उन्होंने कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। साक्षी ने इस कथन से इंकार किया है कि मेरे बहनोई अवधराम, सास सुखरानी अतिरिक्त दहेज में पचास हजार रुपये की माँग करते थे और अतिरिक्त दहेज की माँ पूरी न होने के कारण अवधराम व सुखरानी ने मेरी बहन को मार डाला।

19— अवधराम का फोन आया था कि रामबेटी को कालरा हो गया है। उल्टी, दस्त आ रहे थे और वह खत्म हो गयी। इस सूचना पर मैं, मेरे भाई, बहन व माँ अवधराम के घर गये थे। वहां पर लाश के पास अवधराम और उसके घर वाले रो पीट रहे थे। मेरी बहन काफी दुबली, पतली थी और बीमार भी रहती थी। उस दिन देर हो गयी थी, इसलिये उस दिन दाह—संस्कार नहीं हो पाया था। हम लोग अवधराम के यहां रात भर रुके थे। दूसरे दिन दाह संस्कार कराकर हम अपने घर वापस आये थे। महादीन उर्फ महावीर की अवधराम से दुश्मनी चल रही है। चार से पाँच दिन बाद महावीर ने मेरे घर पर आकर मेरी माँ से कुछ कागजों पर दस्तखत करा लिये थे और उस समय मैं और मेरा भाई घर पर मौजूद नहीं थे। महावीर ने झूठा मुकदमा अपनी रंजिश निकालने के लिये अवधराम के खिलाफ लिखा दिया है, जब तक मेरी बहन रामबेटी अवधराम के घर रही हंसी खुशी रही। अवधराम मेरी बहन को बहुत चाहता था। हम लोग भी अवधराम के यहां आते—जाते थे। अवधराम हम लोगों की काफी सेवा सत्कार करते थे। अवधराम ने कभी मेरी बहन को कोई शारीरिक, मानसिक कष्ट नहीं दिया। अवधराम के आस—पड़ोस के लोगों ने भी बताया था कि अवधराम जब तक सवारी का इंतजाम करते तब तक मेरी बहन खत्म हो गयी थी।

20— पी०डब्लू० 4 शर्मानन्द कुशवाहा ने कहा कि दिनाँक 04.07.2013 को मैं थाना सदरपुर में एच०एच० के पद पर कार्यरत था। वादिनी मुकदमा रामरानी बेवा बदलू पासी एक टाईपशुदा तहरीर लेकर थाने आयी थी, उस टाईपशुदा तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा मु०अ०सं०—121/2013 अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 201 भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट बनाम अवधराम आदि के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। चिक एफ०आई०आर० शामिल पत्रावली जिस पर प्रदर्श क—1 डाला गया। इस मुकदमें की कायमी रपट नं—24 समय 16.05 मूल जी०डी० के साथ कार्बन प्रति लगाकर एक ही प्रक्रिया में तैनात की गयी थी। मूल जी०डी० समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण नष्ट की जा चुकी है, जिसका प्रमाणपत्र मैं पुलिस कार्यालय से लाया हूँ, जिसे मैं दाखिल कर रहा हूँ, जिस पर कायमी जी०डी० पर प्रदर्श क—2 व प्रमाणपत्र पर प्रदर्श क—3 डाला गया। इस

मुकदमें की वादिनी रामरानी बेवा बदलू पासी एक टाईपशुदा तहरीर लेकर आयी थी, जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगा है। इसी प्रमाणपत्र के आधार पर मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

21– पी०डब्लू० 4 शर्मानन्द कुशवाहा ने जिरह में कहा कि इस मुकदमें की कथित घटना दिनांक 19.06.2013 की है। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक 04.07.2013 को हुई थी। विलम्ब से रिपोर्ट लिखने की वजह न उसने बतायी, न मैंने बतायी। मुझे नहीं मालूम की राजरानी जब रिपोर्ट लिखाने आयी थी तो तो उसके साथ महावीर आये थे या नहीं मगर उसके साथ कुछ लोग आये थे, वह रिपोर्ट लिखाने में आगे–आगे थे।

22– पी०डब्लू० 5 सतीश कुमार सिंह ने कहा कि दिनाँक 05.07.2013 को मैं क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के पद पर कार्यरत था। मु०अ०सं० 121/2013 अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 201 भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट बनाम अवधराम आदि थाना सदरपुर की विवेचना मुझ क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी थी, उस दिन पहला पर्चा किता किया गया था, जिसमें नकल चिक, नकल रपट व बयान लेखक शर्मानन्द व बयान वादिनी रामरानी व वादिनी की निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल किया, नक्शा नजरी तैयार किया, जो मेरे निर्देशन में तैयार किया गया था, उस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। प्रदर्श क–5 डाला गया व उसी दिन नक्शा नजरी चिता स्थल तैयार कराया, जिस पर मेरे हस्ताक्षर बना है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया है व उसी दिन चिता स्थल से मृतका रामबेटी पत्नी अवधराम की जली हुई राख कब्जा पुलिस लेकर फर्द मौके पर तैयार की थी। फर्द पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। पर्चा–2 दिनाँक 18.07.2013 को किता किया गया था। अभियुक्त अवधराम को थाना सदरपुर द्वारा गिरफ्तार कर सूचना दी गई, जिस पर मैं थाना सदरपुर जाकर अवधराम का बयान अंकित किया। पर्चा–3 दिनाँक 25.07.2013 को किता किया गया। न्यायालय में सुखरानी ने आत्मसमर्पण किया गया। सुखरानी न्यायालय में अंकित किया। पर्चा नं–4 दिनाँक 26.07.2013 को किता किया गया, जिसमें बयान अभियुक्त के पिता माता प्रसाद का बयान लिया गया, उसी दिन ग्राम प्रधान रमा सिंह व गवाह धर्मेन्द्र का बयान अंकित किया। गवाह मूलचन्द्र, रामऔतार का बयान अंकित किया। पर्चा नं–5 दिनाँक 28.07.2013 को किता किया, जिसमें बयान नामित अभियुक्ता श्रीमती सीतादेवी का पुनः बयान लिया। पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त अवधराम, सुखरानी मुकदमा उपरोक्त में आरोपपत्र संख्या 26/2013 दिनाँक 28.07.2013 न्यायालय प्रेषित किया। आरोपपत्र पर मेरा हस्ताक्षर बना है। आरोपपत्र पर प्रदर्श क–8 डाला गया। सीता देवी पुत्री बैजनाथ की नामजदगी गलत पायी गयी, जिसके विरुद्ध विवेचना समाप्त की गयी। एस०सी०डी० 1 दिनाँक 17.08.2013 को किता की गयी है, जिसमें चिता की राख को विधि विज्ञान प्रयोगशाला दिनाँक 17.08.2013 को मद नं० 7290 परीक्षण हेतु दाखिल किया गया एवं फर्द के गवाह किशोरी व छैल बिहारी की बयान अंकित किया गया।

23– पी०डब्लू० 5 सतीश कुमार सिंह ने जिरह में कहा कि इस मुकदमें का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इस मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका के दाह–संस्कार के बाद लिखायी है। निरीक्षण घटना स्थल में इस बात का उल्लेख नहीं है कि वादी मुकदमा की लड़की को फांसी लगाकर मारकर लटकाकर बताया जा रहा है। नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 मैं फांसी लगाया जाना बताया है, बयान में बताया है।

24– प्रदर्श क–5 में एक्स स्थान पर कोई वस्तु नहीं मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि उसने फांसी लगायी हो। गवाहन माता प्रसाद प्रधान, रामा सिंह, धर्मेन्द्र, मूल चन्द्र,

रामऔतार ने अपने बयानों में दहेज की माँग की बात व प्रताड़ित करने की बात नहीं बतायी थी।

25– माता प्रसाद गवाह ने यह बयान दिया था कि दिनाँक 29.06.2013 को उसकी (रामबेटी) की मृत्यु हो गयी थी और मृत्यु की सूचना पर अवधराम की सास व उसके परिजन आये तथा लाश का दाह संस्कार हुआ। बाद में रामबेटी की माँ ने दबाव बनाया की पाँच बीघा खेती मेरे नाम लिख दो मगर अवधराम राजी नहीं हुआ, इसलिये मुकदमा लिखा लिया। यह बयान दिनाँक 26.07.2013 को अन्य गवाहों ने भी दिया है। यही बात अन्य गवाहों ने भी कही है।

26– अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

अपराध के विवेचन के पूर्व अपराध पर एक नजर डालना आवश्यक है।

27– **धारा 34 भा०दं०सं० – सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य**– जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

28– **धारा 302 भा०दं०सं० – हत्या के लिये दण्ड**– जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

29– **धारा 498 ए भा०दं०सं० – किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना** – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिये किसी विधिविरुद्ध माँग को पूरी करने के लिये प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति के ऐसे माँग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।

30– **धारा 304 बी भा०दं०सं० – दहेज मृत्यु**– जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी माँग के लिये, या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा।

31– **धारा 201 भा०दं०सं० – अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिये मिथ्या इत्तिला देना** – जो कोई यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किये जाने के किसी साक्ष्य का विलोप, इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से

प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से सम्बन्धित कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है।

32– **यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय हो–** यदि वह अपराध जिसके किये जाने का उसे ज्ञान व विश्वास है, मृत्यु से दण्डनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

33– **यदि आजीवन कारावास से दण्डनीय हो–** और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

34– **यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय हो–** और यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिये दण्डनीय हो, जो दस वर्ष तक की न हो, तो वह उस अपराध के लिये उपबन्धित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिये जो उस अपराध के लिये उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक–चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

35– **धारा 3 – दहेज प्रतिशेध अधिनियम – दहेज लेना या देना** – इस धारा के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज लेना, दहेज देना या ऐसा करने के लिये किसी को उकसाना एक दण्डनीय अपराध है।

सजा का प्रावधान– दोषी पाये जाने पर कम से कम पाँच साल की कैद और पन्द्रह हजार या लिये/दिये गये दहेज के मूल्य (जो भी अधिक हो) के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

36– **धारा 4 – दहेज प्रतिशेध अधिनियम – दहेज की माँग करना** – इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लड़की या लड़के के माता–पिता या रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार के दहेज (संपत्ति, नकद या कीमती वस्तु) की माँग करता है, तो दंडनीय अपराध है।

सजा का प्रावधान– इसमें दोषी को कम से छः महीने से लेकर अधिकतम पाँच साल तक की जेल और पन्द्रह हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

37– पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक ने मृतका रामबेटी की चिता की राख जांच के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ पत्र संख्या 569–Bio–2013 दिनाँक 13.04.2015 से भेजी थी, जिसका परीक्षण परिणाम दिनाँक 08.05.2015 को प्राप्त हुआ, जो पत्रावली दाखिल है। परीक्षण परिणाम के अनुसार, मिट्टी मय कोयला में रक्त नहीं पाया गया है। मिट्टी मय कोयला में अन्य कोई मानव अवशेष जैसे हड्डी, दांत, बाल, चमड़ी, नाखून टिशू आदि प्राप्त नहीं हुए हैं। परीक्षण परिणाम में मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं है।

38– अभियोजन ने तथ्य के मात्र तीन साक्षी, मृतका की माँ रामरानी, मृतका का भाई मस्तराम एवं विष्णु कुमार उर्फ त्रिभुवन को परीक्षित कराया है। तीनों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। तहरीर में रामरानी ने अभियुक्त अवधराम (पति), सुखरानी बेवा (सास), सीतादेवी (ननद) के विरुद्ध अपनी मृतका पुत्री रामबेटी, जिसकी शादी घटना से करीब तीन वर्ष पूर्व अवधराम के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान–दहेज देकर की थी। पहली बार लड़की ने मायके आकर बताया कि सब ठीक है और दोबारा आयी तो उसने बताया कि मेरे पति, सास व ननद मुझसे पचास हजार रुपये नकद व मोटरसाइकिल की माँग को लेकर मुझे प्रताड़ित करते हैं। मैंने अपनी लड़की को समझा–बुझाकर ससुराल भेज दिया। दिनांक 29.06.2013 को शाम को मुझे सूचना मिली की मेरी लड़की रामबेटी को

उसके पति व घरवालों ने मिलकर दहेज की मांग के लिये मार करके हत्याकर लाश कहीं जला दिया है।

39– तथ्य के तीन साक्षियों ने एक स्वर में न्यायालय में आकर यह बयान दिया कि रामबेटी के मरने की सूचना हमें अभियुक्त अवधराम ने फोन से दी थी और हम सूचना पर उसके ससुराल गये थे, जबकि वादिनी ने कहा कि जब हम वहां पहुंचे तो लड़की लाश नहीं मिली, फिर कहा वह मर चुकी थी। वहां पर अवधराम व अन्य परिवारीजन लाश के पास रो पीट रहे थे। काफी रात हो जाने के कारण उस दिन दाह संस्कार नहीं किया गया, दूसरे दिन दिनाँक 30.06.2013 को हमारी मौजूदगी में रामबेटी का दाह संस्कार किया गया और उसके उपरान्त हम लोग अपने घर वापस आ गये थे।

40– तथ्य के तीनों साक्षियों ने एक स्वर में यह स्वीकार किया है कि अवधराम व उसके ससुरालीजन ने कभी भी मेरी लड़की से दान–दहेज की माँग नहीं की है और उसको अतिरिक्त दान–दहेज के लिये मार–पीटकर प्रताड़ित नहीं किया है। रामबेटी काफी दुबली–पतली, कमजोर थे और मेरी बेटी को कालरा हो गया था। मुझे रामबेटी ससुरालीजन से कोई शिकायत नहीं थी। इसीलिये मैंने थाने में घटना की कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन मेरे दामाद अवधराम से महावीर उर्फ महादीन की दुश्मनी चल रही थी और महावीर मेरे रिश्तेदार हैं। मेरी लड़की के मरने के पाँच दिन बाद महावीर ने मेरा अंगूठा निशान सादे कागज पर लगवा लिया था। मैंने विश्वास करकके अपना अंगूठा लगा दिया था। मुझे कोई शिकायत नहीं थी। इसीलिये मैंने थाने पर कोई सूचना नहीं दी थी क्योंकि अवधराम मेरी बेटी को शादी के बाद विदा कराने आते थे और हसी–खुशी कराकर ले जाते थे।

41– इस कथन का समर्थन मृतका रामबेटी के भाई मस्तराम व विष्णु कुमार ने करते हुए कहा कि अवधराम व पड़ोस के लोगों ने हमें सूचना दी थी कि हमारी बहन रामबेटी को कालरा हो गया था और वह खत्म हो गयी है। जब तक सवारी का इंतजाम करते रामबेटी ने दम तोड़ दिया। हमारी बहन काफी बीमार रहती थी और काफी कमजोर थी। महावीर की, अवधराम से दुश्मनी चल रही थी और अवधराम को परेशान करने के लिये महावीर ने मेरी माँ से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराकर झूठा मुकदमा कायम करा दिया। विष्णु ने कहा कि जब तक मेरी बहन अवधराम के घर रही, हसी–खुशी रही, अवधराम मेरी बहन को बहुत चाहता था और हम लोग भी अवधराम के यहां आते–जाते थे और अवधराम हमारी काफी सेवा सत्कार करते थे। अवधराम ने कभी–भी मेरी बहन को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान नहीं किया है। अभियोजन द्वारा तथ्य के तीन साक्षी परीक्षित कराये हैं, जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

42– पी०डब्लू० 4 शर्मानन्द कुशवाहा तत्कालीन कांस्टेबल ने तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा दर्ज किया है और जिरह में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 29.06.2013 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक 04.07.2013 को विलम्ब से दर्ज कराने की बजाय वादिनी ने न बतायी थी और न ही मैंने पूछी थी। साक्षी ने कहा है कि मुझे नहीं मालूम है कि राजरानी जब रिपोर्ट लिखाने आयी थी तो उनके साथ महावीर आये थे या नहीं, मगर उनके साथ कुछ लोग आये थे और व रिपोर्ट लिखाने में आगे–आगे थे।

43– पी०डब्लू० 5 सतीश कुमार सिंह विवेचक ने जिरह में स्वीकार किया है कि रिपोर्ट घटना में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। इस मुकदमे की प्रथम सूचना मुकदमें के दाह संस्कार के बाद लिखायी गयी है। नक्शा नजरी में फांसी पर लटकाकर मारना बताया गया है, परन्तु तथ्य के किसी भी साक्षी ने रामबेटी की मृत्यु फांसी द्वारा होना नहीं कहा है और यह भी कहा है कि अवधराम ने ही रामबेटी की सूचना फोन पर दी थी और कहा था कि उसे कालरा हो

गया है, जबतक किसी सवारी की व्यवस्था करते तब तक वह मर चुकी थी। वह काफी दुबली–पतली और कमजोर थी। विवेचक को घटना स्थल पर कोई वस्तु नहीं मिली, जिससे यह प्रतीत होता हो कि उसने फांसी लगाई हो। केस डायरी में अंकित किये गये साक्षियों के बयान में किसी भी साक्षी माता प्रसाद प्रधान, रामा सिंह, धर्मेन्द्र, मूल चन्द्र, रामऔतार आदि ने अपने बयानों में दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करने की बात नहीं बतायी थी। अवधराम की सूचना पर उसकी ससुराल आया था और उनके उपस्थित में रामबेटी का दाह–संस्कार हुआ था।

44– पी०डब्लू० 4 शर्मानन्द, पी०डब्लू० 5 सतीश कुमार सिंह पुलिस कर्मचारी हैं, दोनों ने कार्य सरकार को अंजाम देते हुए कृत कार्यवाही को न्यायालय में आकर अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

45– पत्रावली में दाखिल एफ०एस०एल० रिपोर्ट जो विवेचक ने मौके पर रामबेटी की चिता की राख सील सर्व मोहर की थी को, जाँच के लिये एफ०एस०एल० भेजा था और एफ०एस०एल० के परीक्षण परिणाम के पश्चात् उक्त राख में मानव अवशेष व रक्त नहीं पाया गया और मिट्टी मय कोयला में हड्डी, दांत, बाल, चमड़ी, नाखून, टिशू आदि प्राप्त नहीं हुए।

46– उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तथ्य के तीनों साक्षियों मृतका की मां रामरानी, भाई मस्तराम, विष्णु ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। शेष साक्षी औपचारिक साक्षी हैं,जो पुलिस कर्मी हैं और उनके द्वारा पुलसिया कार्यवाही को न्यायालय में साबित किया गया है। तथ्य के किसी भी साक्षी ने अपने बयान में यह साबित नहीं किया कि अवधराम और उसकी माता सुखरानी ने उसे प्रताड़ित करते हुए मृतका रामबेटी के प्रति क्रूरता कारित की हो या उसे करने के लिये प्रेरित किया हो या उसके स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया हो या किसी स्त्री को तंग करने की बात यह मूल्यवान सम्पति के लिये किसी विधि विरुद्ध माँग पूरी करने के लिये, प्रतीड़ित करने की दृष्टि से उसके द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी माँग पूरी करने में असफल रहने पर उसे तंग किया गया हो।

47– किसी भी व्यक्ति की दहेज मृत्यु तब मानी जायेगी,जब उस स्त्री की मृत्यु किसी दहेज या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाये, विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी माँग के लिये या उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जायेगा। किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है और उस अपराध के किये जाने के किसी साक्ष्य को विलोपित, किसी आशय से करेगा कि अपराध को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे और कोई उस अपराध से सम्बन्धित कोई इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो। अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराध को प्रतिच्छादित करने के मिथ्या इत्तिला देगा, अपराध की श्रेणी में आयेगा।

48– तथ्य के किसी भी साक्षी ने अभियुक्त अवधराम एवं सुखरानी द्वारा मृतका रामबेटी को अतिरिक्त दहेज की माँग के लिये प्रताड़िता करना, मारपीट करना और दहेज में पचास हजार रुपये व मोटरसाइकिल की माँग करने का कोई कथन नहीं किया है। इसके विपरीत तीनों साक्षियों ने अपने बयानों में कहा कि अवधराम ने रामबेटी को बड़े प्यार से रखते थे और मायके उसे हसी–खुशी विदा कराकर ले जाते थे और मेरे वहां जाने पर मेरी काफी सेवा सत्कार करते थे। तीनों साक्षियों ने यह भी कहा कि रामबेटी के मरने की सूचना अवधराम ने अपने फोन से उनको दी थी और मेरे वहां पहुँचने से रात हो गयी थी, इसलिये उस दिन वहां बेटी का दाह–संस्कार नहीं किया था। दूसरे दिन मायके वालों की उपस्थिति में मृतका रामबेटी का दाह–संस्कार किया गया और उसके उपरान्त वापस अपने गाँव आ गये। किसी

भी साक्षी ने रामबेटी की दहेज हत्या के इतर हत्या किये जाने के अपराध को साबित नहीं किया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। तहरीर किससे टाईप करायी, वादिनी ने स्पष्ट नहीं किया, न ही उसे परीक्षित कराया है। लड़की को फांसी लगाकर मारकर लटकाना कहा है, परन्तु किसी भी साक्षी ने फांसी लगाकर मारना नहीं कहा है और अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराने में पाँच दिन का विलम्ब है, जिसे अभियोजन साक्षियों ने अपने बयान से प्रमाणित नहीं किया है। एफ०एस०एल० रिपोर्ट के परीक्षण परिणाम में भी मिट्टी में कोयला में रक्त के अवशेष व अन्य मानव अवशेष हड्डी, दांत, बाल, चमड़ी, नाखून, टिशू आदि प्राप्त नहीं हुए। अभियोजन, अभियुक्तगण अवधराम एवं सुखरानी के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी, 201 भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी० एक्ट एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302/34 भा०दं०सं० को संदेह से परे साबित न करने के कारण उपरोक्त अपराध में अभियुक्तगण अवधराम एवं सुखरानी दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

49. अभियुक्तगण अवधराम एवं सुखरानी के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी, 201 भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी० एक्ट एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302/34 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके बन्धपत्र व प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

50. अभियुक्तगण द्वारा धारा–437 (ए) दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत प्रतिभूपत्र व बन्धपत्र दाखिल हैं, जो स्वीकार किये जा चुके हैं। उक्त प्रतिभू पत्र एवं बन्धपत्र निर्णय की तिथि से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगें। तदोपरान्त यह बन्धपत्र व प्रतिभू पत्र निरस्त समझे जायेगें।

51. साक्षी पी०डब्लू०–1 रामरानी, पी०डब्लू० 2 मस्तराम एवं पी०डब्लू० 3 विष्णु कुमार उर्फ त्रिभुवन द्वारा जानबूझकर अपनी इच्छा से अभियोजन कथानक से इतर मिथ्या साक्ष्य, सशपथ न्यायालय के समक्ष दिया है। अतः पी०डब्लू०–1 रामरानी, पी०डब्लू० 2 मस्तराम एवं पी०डब्लू० 3 विष्णु कुमार उर्फ त्रिभुवन तीनों के विरुद्ध धारा–383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए पृथक–पृथक प्रकीर्ण फौजदारी वाद संस्थित करके फौजदारी लिपिक नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–30.06.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–02, सीतापुर।
J.O.Code–UP6013

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–30.06.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–02, सीतापुर।
J.O.Code–UP6013

Sandeepstneo/–